झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 19.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री हरिकृष्ण सिंह स0वि0स0	लातेहार जिलान्तर्गत PWD रोड लातेहार से भाया सरयू होते हुए कोटाम तक 32 कि0मी0 रोड का निर्माण मे0 एस0 एन0 टी0 कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। रोड का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है तथा घटिया पत्थर, मोरम आदि चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ से रोड का निर्माण हो रहा है तो दूसरे तरफ से रोड उखड़ते जा रहा है। जनप्रतिनिधि द्वारा बार-बार पथ का निर्माण मानक के अनुरूप करने के लिए कम्पनी एवं विभागीय पदाधिकारियों के कहने के बावजूद भी कोई असर नहीं है। अतएव जनहित में उपर वर्णित पथ में हो रहे अनियमितता की जाँच समक्ष एजेन्सी द्वारा कराकर ही रोड निर्माण हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	पथ निर्माण
02-	सर्वश्री प्रकाश राम, कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं श्री जगरनाथ महतो स0वि0स0	लातेहार जिला अन्तर्गत लातेहार प्रखण्ड के ग्राम- रेहड़ा, पुरनाकेडू, बैठा टोला, पलियार टोला, उराँव टोला, रेका, कुसाहा, दुधमटिया चन्दवा प्रखण्ड के ग्राम- पिपरापानी, सरलाही, जरमा, बेलंगा, अम्बाखार पुरना टोली, पडुवाटोला, महतो टोला, कुदरा, मोहरड़, डैम टोला बालूमाथ प्रखण्ड के ग्राम सामासार, चेटर, आरा, चमातु, चमरेंगा, हुण्डराटांड, सिमरसोत,दिरिदाग	ऊर्जा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		बरहनियाखाड़, बन्दरचुआं, नेबरीबार, करंजवाटोला, ढ़ीपना, ढ़ेठाई, चन्दली, पण्डरीया, साती, संलचनवा, कलकलिया, सलैयपुर, बरवाटोली, महुदर, बारा, रामघाट बारियातू प्रखण्ड के ग्राम–मनातू, बरवाडीह, अमरवाडीह, चेडरा, बनवार, अलगडीहा, गुरुसालवे, हेरनहोपा, झीरमतकोमा, राजगुरु–जीरहुल्ला, बड़कीटांड बारियातू– जुठाटांड, गजवा, गाड़ी भण्डार टोला, सालवे–रखात टोला, करमा, बालूभांग–हेरनहोपा, श्रीसमात, डाढ़ा–हरिजन टोला, दूब, हेरहंज प्रखण्ड के ग्राम– कांचा, खैराखाड़, कटांग, मेराल, हुर में विद्युतीकरण का कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मेसर्स आई0आर0भी0सी0एल0 द्वारा कराया जा रहा था। वर्ष 2011-12 में संवेदक द्वारा कार्य बन्द करा दिये जाने पर कंपनी की बैंक गारंटी की राशि विभाग द्वारा जब्त कर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जिसे मा0 उच्च न्यायालय झारखण्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया है। मा0 न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण विद्युतीकरण का कार्य उपरोक्त वर्णित ग्रामों में 5 वर्षो से लंबित है। अतः जनहित में विधिसम्मत राय लेकर उपरोक्त वर्णित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य दो माह के अन्दर प्रारंभ कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	मानव संसाधन विकास
03-	सर्वश्री साधुचरण महतो, नागेन्द्र महतो एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0	सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत मानीकुइ में स्वर्णरेखा नदी पर वर्ष 2003-04 में निर्मित पुल अभी आधा धँस गया है और उसी पुल पर आम जनों का आवागमन जारी है। जिससे किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घटना घट सकती है तथा जानमाल की क्षति की संभावना भी है। उक्त क्षतिग्रस्त पुल कान्ड्रा–चाण्डिल को जोड़ने वाली एक व्यस्त सड़क पर बनी हुई है। अतः अविलम्ब इसका निर्माण भी आवश्यक है। अतः उक्त पुल का निर्माण एवं संभावित खतरा को टालने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
04-	श्री चम्पाई सोरेन स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसांवाँ जिला अन्तर्गत दलमा, अभ्याराय क्षेत्र इंको सेंसेटिव जोन के रूप में प्रस्तावित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रखण्ड नीमडीह, चांडिल, पटमदा एवं बोड़ाम है। इन प्रखण्डों के 136 गाँवों में आदिवासी-मूलवासी समुदाय अपने परम्परा संस्कृति, समाजिक आर्थिक व्यवस्था को धरोहर के रूप में संरक्षित करते हुए जीवन यापन करते है। दलमा क्षेत्र के इंको सेंसेटिव जोन होने के कारण यहाँ निवास करनेवाले लोगों जो खासकर आदिवासी एवं मूलवासी है, उनके समाजिक-जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतः उक्त गंभीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय
05-	श्री फूलचन्द मण्डल स0वि0स0	धनबाद जिला के शहरी क्षेत्र को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत् नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक- 07/न0वि0/हो0 टैक्स-102/2013-641 (अनु), दिनांक- 17.02.2014 द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सम्पत्तियों का वार्षिक कर निर्धारण तथा वसूली हेतु नियमावली को 01 अप्रैल, 2014 के प्रभाव से प्रवृत किया गया है। 01 अप्रैल, 2014 के पश्चात् Holding Tax वसूली एवं निर्धारण करने के आदेशोपरान्त धनबाद नगर निगम द्वारा धनबाद के शहरी क्षेत्रों/वार्डो के निवासियों से जमीन के प्रथम रसीद/मकान का नक्शा पारित होने की तिथि अथवा उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन/जल कनेक्शन की तिथि से सम्पत्तियों का कर की वसूली नियमावली का उल्लघंन कर किया जा रहा है। अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय के समाधान हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	नगर विकास

राँची
दिनांक- 19 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0–02/2015–1458/वि0स0,राँची,दिनांक– 18/3/15

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/पथ निर्माण विभाग/ ऊर्जा विभाग/ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग एवं नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 18/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0–02/2015–1458/वि0स0,राँची,दिनांक– 18/3/15

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/– 18/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

ह0/– 18.03.15